

R 62691- 4/6/2014  
मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 1-8/2014/18-3

भोपाल, दिनांक 4/06/2014

प्रति,

सचिव  
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
भोपाल

विषय- नगरीय निकायों में पालिका परिषद, गरोट जिला एवं महापौर/अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ने अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांकित राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30.05.14 में प्रकाशित कराई गई अधिसूचना की छायाप्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

st.obb

श्रीवामदेवनाथ  
Shivendra  
4/6

मान झापुत्र महे.

Z  
4/6

2/2/2014

( डी.डी. पंडित )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
4/6

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2014—ज्येष्ठ 9, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2014

अधि. क्र. 11-एफ 1-8-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 36 सन् 1956) की धारा 14-क की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 16 सन् 1961) की धारा 32-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 77-अठारह-3-97, दिनांक 2 जुलाई, 1997 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संबंधित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् के महापौर तथा अध्यक्ष के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित करती है:—

#### सारणी

नगरीय स्थानीय निकाय का प्रकार (1)	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (2)	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा (3)
नगरपालिक निगम	(एक) 10 लाख से अधिक	(एक) रु. 35 लाख
	(दो) 10 लाख से कम	(दो) रु. 15 लाख
नगरपालिका परिषद्	(एक) 1 लाख से अधिक	(एक) रु. 10 लाख
	(दो) 50 हजार से 1 लाख तक	(दो) रु. 06 लाख
	(तीन) 50 हजार से कम	(तीन) रु. 04 लाख
नगर परिषद्		रु. 03 लाख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कांतिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2014

क्र. एफ 1-8-2014-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11 एफ 1-8-2014-अठारह-3, दिनांक 30 मई, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 30th May 2014

Not. No. 11-F 1-8-2014-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14-A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 36 of 1956) and sub-section (2) of Section 32-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 16 of 1961) and in supersession of this department's Notification No. 77-Eighteen-3-97, dated 2nd July, 1997, the State Government hereby, determine the limit of election expenditure for the Mayor and President of Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Parishad respectively are as follows:—

TABLE

ULB's Type (1)	Population as per census 2011 (2)	Maximum limit of election expenditure (3)
Municipal Corporation	(i) Above 10 lakh	(i) Rs. 35 lakh.
	(ii) Below 10 lakh	(ii) Rs. 15 lakh.
Municipal Council	(i) Above 1 lakh	(i) Rs. 10 lakh.
	(ii) 50 thousand to 1 lakh	(ii) Rs. 06 lakh.
	(iii) Below 50 thousand	(iii) 04 lakh
Nagar Parishad		Rs. 03 lakh

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. KATIYA, Dy. Secy.